न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 142/11

संस्थित दिनाँक-25.03.11

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा जिला-भिण्ड (म०प्र०) ..

.....अभियोगी

विरुद्ध

श्यामसिंह पुत्र होतमसिंह भदौरिया उम्र 44 साल निवासी हंसपुरा थाना मेहगांव जिला भिण्ड

....अभियुक्त

__: निर्णय ::— {आज दिनांक 20.10.16 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 337, 338 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 21.01.11 को 18 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत छीमका मोड हनुमान मंदिर के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर वाहन टाटा इण्डिका क्रमांक एम0पी0—07 सी0ए0—4409 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त रीति से उक्त वाहन को चलाकर फरियादी नाथूसिंह की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर आहत नाथूसिंह व अशोक को साधारण उपहित तथा आहत दलवीर को घोर उपहित कारित की।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी नाथूसिंह का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध संहिता की धारा 337 के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध आहत अशोक व दलवीर के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है। रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 21.01.11 को समय करीब शाम 6 बजे फरियादी नाथूसिंह अपनी मोटरसाईकिल से छरेंटा जा रहे थे। उनके साथ मोटरसाईकिल को अशोक चला रहा था तथा दलवीर बैठा हुआ था। छीमका मोड हनुमान जी मंदिर के सामने उक्त मोटरसाईकिल आई तब ग्वालियर तरफ से इण्डिका कार एम0पी0—07 सी0ए0—4409 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे उन लोगों को चोट आई। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0—8/11 पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, एक्सरे कराया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण किए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूंटा फंसाए जाने का कथन किया है।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं

1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.01.11 को 18 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत छीमका मोड हनुमान मंदिर के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर वाहन टाटा इण्डिका क्रमांक एम0पी0–07 सी0ए0–4409 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2.क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण अशोक व दलवीर को शरीर पर कोई चोटें मौजूद थी, यदि हॉं तो उनकी प्रकृति ?

3.क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर आहतगण की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर आहतगण को उक्त उपहित कारित की गयी ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अशोक अ०सा० 1, दलवीर अ०सा० 2, डा० आलोक शर्मा अ०सा० 3, भारतेंदु अ०सा० 4, बालकृष्ण अ०सा० 5 व नाथूसिंह अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक-2//

7. फरियादी नाथूसिंह अ०सा० ६ अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना उनके साक्ष्य से 5 साड़े 5 साल पूर्व की होकर 6—7 बजे की है वे तथा दलवीर व अशोक मोटरसाईकिल से चौराहे से ग्राम छरेंटा जा रहे थे, मोटरसाईकिल को अशोक चला रहा था तभी छीमका मोड़ पर हनुमानजी मंदिर के पास एक कार ने उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे साक्षी को कमर में तथा अन्य आहतगण को भी चोटें आई थीं। घटना की रिपोर्ट प्र०पी० 7 बताकर उसके बी से बी भाग पर तथा नक्शामौका प्र०पी० 8 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। साक्षी उसके अलावा अशोक व दलवीर को चोटें आना बताते हैं। अशोक अ०सा० 1 भी उसी प्रकार का कथन करते हैं और टक्कर में उसके जीजा नाथू, उसे तथा दलवीर को चोटें आना बताते हैं। साक्षी स्वयं को सिर में चोट आना बताता है। दलवीर अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे मोटरसाईकिल पर बीच में बैठे थे तभी सामने से एक गाड़ी आई जो फोर व्हीलर थी जिससे एक्सीडेंट हो गया। उसे एक्सीडेंट में हाथ, पैर व पेट में चोट आना बताते हैं।

- प्रकरण में साक्षी बालकृष्ण अ०सा० 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 21.01.11 को थाना गोहद चौराहा में वे पदस्थ थे। उक्त दिनांक को फरियादी नाथूसिंह द्वारा इण्डिका कार एम0पी0-07 सी0ए0-4409 के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर छीमका मोड हनुमान मंदिर के सामने मोटरसाईकिल में टक्कर मार देने की रिपोर्ट लिखाई थी जिससे उन्होंने प्र0पी0 7 की प्राथमिकी पंजीबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। साक्षी आहतगण नाथूसिंह, अशोक तथा दलवीर को चिकित्सीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद भेजे जाने के संबंध में प्र0पी0 2 लगायत 4 पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० ३ यह कथन करते हैं कि दिनांक २१.०१.११ को उनके समक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद चौराहा के आरक्षक अमर बहादुरसिंह नं0-405 द्वारा लाए जाने पर आहत नाथुसिंह, अशोक तथा दलवीर का चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसमें आहत नाथुसिंह को सीने में दर्द की शिकायत, आहत अशोक को सिर में दाएं तरफ 3 गुणा 0.5 गुणा 0.3 सेमी0 का फटा हुआ घाव तथा आहत दलवीर को दाएं हाथ के पीछे भाग में 4 गुणा 3.5 सेमी0 रगड का निशान, दाए पंजे में 2 गुणा 1 गुणा 0.3 सेमी० का फटा हुआ घाव पाया गया था। आहतगण को सख्त भौथरी वस्तुओं से चोट आना प्रतीत होने के संबंध में अपनी राय देते हुए मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी0 2 लगायत 4 के रूप में प्रमाणित करते हैं। आहत दलवीर के एक्सरे परीक्षण करने पर उसकी मैटा कार्पल अस्थि में नीचे के भाग में अस्थिभंग पाए जाने के संबंध में कथन करते हुए एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0 5 जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताकर प्रमाणित करते हैं।
- 9. चिकित्सीय साक्षी द्वारा आहतगण नाथूसिंह, अशोक व दलवीर को घटना दिनांक 21.01.2011 को प्र0पी0 2 लगायत 4 के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार सांय 7 से 7:15 बजे तक चिकित्सीय परीक्षण किया है जिसमें आहतगण को आई चोटें उनके परीक्षण से 0 से 6 घण्टे के मध्य आने के संबंध में अपनी राय दी है। अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं लाया गया कि आहतगण को अभिकथित घटना दिनांक व सुसंगत समय पर शरीर पर कोई चोटें नहीं थी। चिकित्सक से आहतगण को पाई गयी चोटें लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाने पर फिसल जाने से कारित होने की संभावना का सुझाव दिया है। उक्त सुझाव से भी यह तथ्य परिलक्षित होता है कि अभियुक्त की ओर से आहतगण की चोटों को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी0 2 लगायत 5 चिकित्सक द्वारा उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित की गयी है जिस पर युक्तियुक्त रूप से अविश्वास का कोई आधार अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसे में उक्त रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधि0—1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होते हुए संहिता की धारा 114 ड के अधीन उसके सम्यक निष्पादन के संबंध में उपधारणा करने का आधार दर्शाती है। साथ ही साक्षियों के कथन व प्राथमिकी प्र0पी0 7 से भी दिनांक 21.01.11 को सांय करीब 6 बजे आहतगण नाथूसिंह, अशोक व दलवीर को शरीर पर उपहतियां तथा आहत दलवीर को अस्थिभंग मौजूदहोकर घोर उपहति पाए जाने

का तथ्य प्रमाणित होता है। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना हैं कि क्या आहतगण को आई चोटें अभियुक्त द्वारा उपेक्षा व उतावलेवन से वाहन चलाकर कारित की गयी ?

//विचारणीय प्रश्न कमांक—1 व 3//

- 10. प्रकरण में नाथूसिंह अ०सा० 6 जो कि फरियादी है, अपने अभिसाक्ष्य में छीमका मोड हनुमान जी मंदिर के पास उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार देने से उन्हें चोट आने का कथन करते हैं। फरियादी नाथूसिंह अपने मुख्य परीक्षण में मोटरसाईकिल की टक्कर कार से होने का कथन तो करते हैं किन्तु कार कौनसी थी, क्या नंबर था, उसे कौन चला रहा था तथा अभिकथित वाहन कार किस प्रकार से चल रही थी, इस संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं। अशोक अ०सा० 1 जो कि आहत है तथा दलवीर अ०सा० 2 भी उनकी मोटरसाईकिल के हनुमान जी मंदिर के सामने पहुंचने पर एक गाडी के द्वारा उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार देने के संबंध में कथन करते हैं। अशोक अ०सा० 1 कथित गाडी (कार) का नंबर उसे मालूम न होने का कथन करते हैं किन्तु उक्त वाहन के तेजी व लापरवाही से चलने के संबंध में कथन करते हैं।
- प्रकरण में फरियादी एवं आहतगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही कर सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें साक्षियों द्वारा इण्डिका कार क0 एम0पी0-07 सी0ए0-4409 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारने का सुझाव दिया गया जिसे साक्षीगण द्वारा इंकार किया गया। नाथूसिह जो कि प्राथमिकीकर्ता हैं, वे प्र0पी० ७ की प्राथमिकी में सी से सी भाग ''ग्वालियर तरफ से इण्डिका कार एम0पी0-07 सी0ए0-4409 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया व हमारी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी" का तथ्य लिखाए जाने से इंकार करता है और कथन प्र0पी0 9 में भी उक्त तथ्य लिखाए जाने से इंकार करता है। अभियोजन की ओर से उसे राजीनामा हो जाने से असत्य कथन किए जाने का सुझाव दिया गया जिससे साक्षी द्वारा इंकार किया गया। जहां फरियादी नाथूसिंह का प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जबकि शेष आहतगण दलवीर व अशोक के भिन्न भिन्न समय पर कथन हुए हैं उनमें भी साक्षियों द्वारा इण्डिका कार एम0पी0–07 सी0ए0–4409 की लिप्तता से इंकार किया गया है। अशोक अ0सा0 1 जो मुख्य परीक्षण में अभिकथित कार के तेजी व लापरवाही से आकर टक्कर मारने का कथन करते हैं वे अपने प्रतिपरीक्षण में स्वतः कथन करते हैं कि गाडी मार्शल ने टक्कर मारी थी। ऐसे में अभिकथित वाहन इण्डिका कार की दुर्घटना में लिप्तता के संबंध में स्वयं अभियोजन साक्षियों द्वारा विरोधाभासी कथन किया जाना अभियोजन मामले को संदेहप्रद बना देता है। भारतेंदुसिंह अ०सा० ४ औपचारिक साक्षी है तथा बालकृष्ण अ०सा० 5 प्राथमिकी लेखक व अनुसंधानकर्ता की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं हैं जो कि आहतगण एवं सर्वोत्तम साक्षियों की साक्ष्य से अधिभावी हो।

- संहिता की धारा 279 के अधीन अपराध को प्रमाणित किए जाने हेत् इस संबंध में सुस्पष्ट 12. साक्ष्य होना आवश्यक है कि घटना में लिप्त वाहन का अभियुक्त द्वारा चालन किया जा रहा था और ऐसा चालन उपेक्षा व उतावलेपन पूर्ण रूप से किया जा रहा था। प्रकरण में किसी भी साक्षी ने अभियुक्त की अभिकथित वाहन को चलाए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और न हीं कथित वाहन इण्डिका एम0पी0-07 सी0ए0-4409 के द्वारा दुर्घटना हुई थी, इसका भी कोई कथन किया है। जहां तक प्रपी0-7 की प्राथमिकी में उक्त वाहन का नंबर उल्लेखित किए जाने का प्रश्न हैं तो स्वयं प्राथमिकी कर्ता ने उक्त तथ्यों को लिखाए जाने से इंकार किया है। साथ ही प्राथमिकी स्वयं सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है। न्यायद्ष्टांन्त- रिव क्मार विव स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदुष्टान्त- ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज-1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नही आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। ऐसे में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ है कि अभियुक्त द्वारा अधिरोपित आरोप में वर्णित अपराध कारित किया गया हो। ऐसे में अभियुक्त के विरूद्ध संहिता की धारा 279, 337, 338 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अभियुक्त संदेह के आधार पर दोषमुक्ति का पात्र है। अतः उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 13. अभियुक्त की जमानत भारमुक्त की जाती है। अभियुक्त के निवेदन पर मुचलका निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।
- 14. जब्तशुदा वाहन एमपी0-07 सी0ए0-4409 उसके स्वामी के पास सुपुर्दगी में हैं अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / –
ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

WILHOUT PAROLE SUNT